गया (हीरालाल वगैरह) बनाम गंगा राम वगैरह (हि)

प्र. पत्र : __________ /20 __________

आज्ञा विस्तृत रूप में	विशेष विवरण

परेशान करने के लिए उक्त प्र. पत्र मिथ्या आधारों पर पेश किया है। तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर सहमति पूर्वक नामांतकरण निष्पादित हुआ है जो कानूनन किसी प्रकार से श्रवण योग्य नहीं है इन आधारों पर इस प्र. पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पक्षकारान के वकील की बहस सुनी एवं बहस पर गौर किया तो पूर्व में तहसीलदार चाकसू द्वारा किया गया सहमति से बंटवारा, नामांतकरण किया गया जिससे अलग-2 खाता कायम किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र 212 न्याय हित में खारिज किया जाना उचित नजर आता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:35:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner